न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या—05/2015—16

वीणा देवी

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख—सहित 3.
23.8.16	**आदेश** प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक—1931, दिनांक 04.09.2015, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या—62पी0/2007 को रद्द किया गया है, के विरूद्ध अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के आधार के रूप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली की दुकान के जाँच के समय भंडार में खाद्यान्न नहीं पाये जाने, जाँच के समय भंडार पंजी एवं वितरण पंजी प्रस्तुत नहीं किये जाने, सूचना पट् एवं मूल्य तालिका प्रदर्शित नहीं रहने, कुल उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध नहीं कराने तथा सामग्री की मांग करने पर डांट फटकार कर भगा देने का आधार अंकित है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में किसी स्पष्ट तथ्य का उल्लेख करने के स्थान पर सरसरी तौर पर अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने को अनुचित बताते हुए अनुरोध किया गया है कि उन्हें जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति अनुकम्पा के आधार पर दी गयी थी इसलिए रद्द अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित किया जाना उचित है। अपीलार्थी के तर्कों का खंडन करते हुए विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), खगड़िया द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायोचित है क्योंकि जाँच के क्रम में उपभोक्ताओं द्वारा दुकान संचालन से संबंधित कई गंभीर शिकायतें की गयी थी। अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। वस्तु स्थिति के परिशीलन हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आदेश के पठन से अपीलार्थी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का कारण स्वतः स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा जाँच के क्रम में आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया, जो अनुशासनहीनता का प्रतीक है। उपभोक्तओं को ससमय सामग्री का उपलब्ध नहीं कराया जाना अपने आप में एक गंभीर कृत्य है तथा सामग्री की मांग करने पर उपभोक्ताओं को डांट—फटकार कर भगा देने का आरोप और भी गंभीर है। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि क्यों इनकी दुकान कार्य अवधि में बन्द रहती है।	

Received for Sabine 20/10/2016

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबधित आदेश ज्ञापांक–1931 दिनांक 04.09.2015 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।	
	डी0बी0 05 /विधि, दिनांक 23.8.2016 प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। 23/8/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 23/8/16	